ईमेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(1)(1)रोल/निर्वा/2013/950 जयपुर, दिनांक 22.3.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित :

1. समस्त संभागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलेक्टर) राजस्थान।

विषय : दिनांक 18 मार्च, 2013 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 807 दिनांक 12.3.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री अशोक जैन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 18 मार्च, 2013 को (जिला सीकर को छोड़कर) सचिवालय स्थित एन.आई.सी. के वीडियो कॉन्फ्रेसिग कक्ष में उपस्थित रहकर जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) से निर्धारित एजेन्डा के अनुसार विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की है। इस बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) सीकर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का आयोजन दिनांक 19 मार्च, 2013 को किया गया था, जिसका विवरण भी इसी कार्यवाही विवरण में अंकित किया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी.सी.गुप्ता)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.3(1)(1)रोल/निर्वा/2013/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
2. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.)/मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्टोर) निर्वाचन विभाग।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

<u>दिनांक 18 मार्च, 2013 को श्री अशोक जैन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) के साथ आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण</u>

दिनांक 18 मार्च, 2013 को श्री अशोक जैन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे सचिवालय स्थित एन.आई.सी. के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) एवं संभागीय आयुक्त गणों (रोल पर्यवेक्षक) के साथ विभाग द्वारा निर्धारित एजेन्डा के अनुसार चर्चा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। अपने प्रारम्भिक उद्‌बोधन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष के अन्त में विधानसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न कराए जायेगें। अतः वर्तमान में ऐसे बिन्दु जिन पर तुरन्त ध्यान दिया जाना है पर विभिन्न स्तरों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सूचना के अनुसार अब राज्य में अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर विधानसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न कराए जायेगे।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वर्तमान में जिन बिन्दुओं पर कार्य किया जाना है उसके विषय में विस्तार से बताया इस विषय में मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से है।

2.1 दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के ऑकड़ों का विशलेषण करने से यह स्पष्ट है कि राज्य के अधिकांश जिलों में महिलओं का पंजीकरण निर्धारित मापदण्डो से बहुत कम है जिसके फलस्वरूप जनसॅख्या एवं मतदाताओं के लिगांनुपात में काफी अन्तर है। इस विषय में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्य में 15 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2013 के मध्य एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण में ऐसे विभाग जिसमे फील्ड स्तर पर महिला कार्यकर्ता कार्यरत है के माध्यम से दिनांक 15 जनवरी, 2013 से 15 फरवरी, 2013 के मध्य ऐसी पात्र महिलाएँ जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है के चिन्हिकरण का कार्य कराया गया तथा इसके पश्चात् 31 मार्च, 2013 तक इस सूची के आधार पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बीएलओ के माध्यम से पात्र महिलाओं के प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। उक्त कार्यवाही गंभीरता एवं सावधानी पूर्वक की जानी है जिससे महिलाओं का निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंजीकरण हो सके।

2.2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि यह चुनावी वर्ष है इसलिए राज्य में वर्तमान में मतदाता सूची में पंजीकृत शत–प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाने है तथा सभी मतदाताओं की प्रविष्टियो के सामने मतदाता की फोटो मुद्रित होना सुनिश्चित किया जाना है। **यह सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो द्वारा बीएलओ के माध्यम से 31 मार्च, 2013 तक यथा स्थिति फोटो एकत्रित की जाकर यह लक्ष्य प्राप्त किया जाए।**

2.3 राज्य में जनसंख्या की तुलना में मतदाताओं का पंजीकरण पूर्ण है किन्तु इस बिन्दु पर विधानसभा क्षेत्रवार/मतदान केन्द्रवार ऑकड़ों का विशलेषण किया जना है तथा विभिन्न स्तर पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कमी या वृद्धि के असंतुलन का आकंलन कर यथोचित कार्यवाही की जानी है। इस विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदान केन्द्रवार ऑकड़ों का विशलेषण किया जाए तथा किसी प्रकार का असन्तुलन प्रकट हो तो तदनुसार कार्यवाही की जाए। मतदान केन्द्र की जनसंख्या के ऑकड़े मतदाता सूचियो के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व बीएलओ पंजिका में संकलित किये गये है का प्रयोग इस प्रयोजनार्थ किया जा सकता है।

2.4 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची के विषय में गंभीरता पूर्वक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की

जाती है। वर्तमान में सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सचियों का जो प्रकाशन किया गया है उसमे यह ध्यान नहीं रखा गया है कि मतदाता रिकार्ड ऑफिसवाईज व्यवस्थित किए जाए। इसके साथ–साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिकार्ड ऑफिसवाईज सारांश की प्रति भी संबंधित रिकार्ड ऑफिस को प्रेषित नहीं की गयी है। विभाग की वेबसाईट पर सेवानियोजित मतदाताओं की वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने के विषय में पी.डी.एफ. फॉरमेट में सूची भी अधिकांश जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) द्वारा प्रेषित नहीं कराई गई है। चूँकि इस वर्ष विधानसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न होगें, इसलिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक दलो/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारो को दी जाने वाली सामान्य मतदाता सूची के साथ–साथ सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची भी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ–साथ उक्त सूची विभाग की वेबसाईट पर भी अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए। इस विषय में आगामी 15 दिवस में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

2.5 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बातया कि मतदान केन्द्रों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन निर्धारित दिनांक 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण किया जाना है तथा सत्यापन की कार्यवाही के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्पस बने हुए है अथवा नहीं है। भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के बाद वर्तमान निर्देशो के अनुसार केवल ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ 1500 से अधिक मतदाता है या निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान जिन मतदान केन्द्रो में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी वहॉ भी सहायक मतदान केन्द्र बनाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते है। ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ भवन परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो स्पष्ट कारण अंकित करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किये जाए। यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है।

2.6 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम के संबंध में अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के वैब पोर्टल पर जिले में उपलब्ध ईवीएम का डेटा विशुद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाना है। यदि किसी मशीन के विषय में किसी राज्य के जिले या राज्य में ही अन्य जिले से Conflict में है तो उसे दूर किया जाकर विशुद्ध रूप से डेटा तैयार कराया जाए। जिले में उपलब्धी सभी सीयू/बीयू जो कि रिट पीटिशन से बाधित नहीं है कि तकनीकी जॉच निर्माता फर्म के इंजीनियर्स द्वारा 15 अप्रैल, 2013 तक पूर्ण की जायेगी। इसके पश्चात् जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ईवीएम का आवंटन किया जायेगा। विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव में प्रयुक्त होने वाले ईवीएम की प्रथम स्तरीय जॉच माह मई में निर्माता फर्म के इंजीनियर्स एवं टेक्नीशियनों द्वारा की जायेगी। इस विषय में समुचित संख्या में मैन पावर, नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं स्थान चयन के विषय में निर्देश दिये गये है जिससे कि निर्माता फर्म द्वारा इंजिनयर्स भेजने पर जिले में अविलम्ब कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

2.7 मुख्य निर्वाचन अध्किारी ने यह भी निर्देशित किया कि चुनाव के दौरान या अन्यथा भी ईवीएम का स्थानांतरण आयोग के ट्रेकिंग साफटवेयर के माध्यम से ही किया जायेगा। इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी लेपटॉप, बारकोड रीडर एवं स्टीकर के लिए उनको उपलब्ध कराई गई राशि के अनुसार इनका क्रय यथाशीघ्र आवश्यक रूप से कर लें।

2.8 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है अर्थात इस अवधि में ईआरओ/सहायक ईआरओ कार्यालय एवं बीएलओ द्वारा भी विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते है। इस विषय में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर यह व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करे कि जिले में निर्वाचन संबंधी कार्यालय एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थनों पर इस विषय में नोटिस बोर्ड लगाए जाकर आम नागरिकों की जानकारी हेतु सूचना प्रदर्शित की जाए। इस कम में प्रेस नोट आदि जारी कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यदि निरंतर अद्यतन

प्रक्रिया के दौरान किसी भी कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गयी तो संबंधित ईआरओ के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों का निर्देशित किया कि निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑन लाईन/ऑफ लाईन पद्धति के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो की नियमित रूप से प्रत्येक माह समीक्षा की जाए।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूची में निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किये जाने वाले आवेदन पत्रो के विषय में जानकारी देवे तथा इसके साथ–साथ भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट, विभाग की वेबसाईट एवं विभाग द्वारा स्थापित कॉल सेन्टर जैसी दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के विषय में बताए जिससे कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार हो सके।

4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के डेटा बेस के आधार पर विधानसभा क्षेत्रवार/मतदान केन्द्रवार विभिन्न सांख्यिकी ऑकड़े शुद्धि हेतु प्रपत्र में उपलब्ध कराए है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) एवं ईआरओ स्वयं अपने स्तर पर ऑकड़ो का विशलेषण कर यथा स्थिति कार्यवाही करे। दिनांक 21.01.2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की त्रुटियों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित किया गया है तथा इन त्रुटियो की मतदान केन्द्रवार सूची डी.वी.डी. में उपलब्ध कराई गई है। उसका इन त्रुटियो का दिनांक 31 मार्च, 2013 तक सत्यापन करवया जाकर संशोधन की कार्यवाही की जाए।

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों के ऑकड़ो का विशलेषण करने पर यह स्पष्ट है कि राज्य में 18–19 आयु वर्ग में नवयुवक, छात्र/छात्राओं का पंजीकरण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है। इस विषय में जिलेवार/विधानसभा क्षेत्रवार ऑकडे जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) एवं ईआरओ के पास उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन ऑकड़ो का विशलेषण करें तथा माह जुलाई 2013 में महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अवकाश समाप्त होने क बाद नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीकरण के लिए शिविरों का आयोजन किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस विषय में निर्देशित किया कि वर्तमान में जिले में स्थापित शैक्षणिक संस्थान से सम्पर्क कर प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा इसके बाद इनक लिए प्रशिक्षण सत्रो क आयोजन भी कर लिया जाए। प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची में पंजीकरण की प्रक्रिया, विभाग की वेबसाईट के बारे में बताया जाए तथा यह अवगत कराया जाए कि विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते है।

6. बैठक के दौरान सभी जिला निर्वाचन अधिकारियो (कलेक्टर)/ईआरओ को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूची में दर्ज अति विशिष्ट व्यक्तियों का मतदाता सूची में नाम होने की पुष्टि करें तथा तद्नुसार इसकी सूचना विभाग को प्रेषित की जाए।

7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बैठक में बताया कि मतदाता सूची में निर्धारित मापदण्डो के अनुसार मतदाताओं का पंजीकरण करने एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान अधिकतम मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु SVEEP PLAN तैयार करना है। इस विषय में विभाग द्वारा 18.3.2013 के द्वारा निर्देश दिये गये है। इन निर्देशों के अनुसार जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानी है तथा जिले के लिए दो कार्य योजनाए तैयार की जाकर इसका अनुमोदन विभाग द्वारा कराया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उक्त कार्यवाही करेगें।

इसके पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियो (कलेक्टर) से जिलेवार चर्चा की जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

1. अजमेर इस बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अवकाश पर होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने बैठक में भाग लिया। मुख्य

निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) दिनांक 22 मार्च, 2013 तक अवकाश पर है तथा अवकाश से लौटने के बाद उनसे पुनः वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की जाएगी।

2 अलवर बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अलवर उपस्थित नहीं थे। विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये गये । जिले में प्राप्त होने वाली शिकायतो का निर्धारित समय–सीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिये।

3. बॉसवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) बॉसवाड़ा प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु मसूरी गये है इसलिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में भाग लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची से सबंधित विभिन्न ऑकड़ो यथा जनसंख्या/मतदाता अनुपात तथा मतदाता सूची में समग्र रूप से कम पंजीकरण होने के विषय में उन्हें ऑकड़ों से अवगत कराया। इस विषय में निर्देशित किया कि जिला स्तर पर प्रत्येक बिन्दु पर लक्ष्य निर्धारित किए जाए तथा तद्नुसार निर्धारित मापदण्डो के अनुसार क्षेत्र चिन्हित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जाए। युवाओं के पंजीकरण के विषय में नोडल अधिकारी की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है। इस क्रम में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की जाए। बैठक के दौरान 18–19 आयु वर्ग के ऑकड़े उपलब्ध नहीं थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि जिला स्तर पर इस विषय में ऑकड़े संधारित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4. बॉरा चर्चा के दौरान निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान मतदाता सूची में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत विलोपित किये जाने वाले नामो के विषय में चर्चा की गयी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा इस विषय में पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है जिसके अनुसार निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान कार्यवाही की जाए।

5. बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) बाड़मेर ने अवगत कराया कि गत पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1800 मतदाताओं के फोटो मुद्रित नहीं हुए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभाग के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी) को इस विषय में अनुबंधित फर्म से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को मतदाताओं के मोबाईल नं0 एकत्रित करने के विषय में अवगत करया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस हेतु पृथक से अभियान नहीं चलाया जाना है। मतदाताओं के मोबाईल, नं0 बीएलओ पंजिका से संकलित कर इसकी सूची संबंधित फर्म को डेटा एन्ट्री हेतु उपलब्ध करवायी जाए।

6. भरतपुर बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) भरतपुर उपस्थित नहीं थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) भरतपुर को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के विषय में निर्देशित किया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि गत् पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिन मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार किये गये है उनको बीएलओ के माध्यम से तुरन्त वितरित किया जाए।

7. भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) भीलवाड़ा ने अन्य बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराते हुए अवगत करया कि दिनांक 20 मार्च, 2013 तक सेवानियाजित मतदाताओं की मतदाता सूची पी.डी.एफ. फारमेट में उपलब्ध करा दी जायेगी।

8. बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) बीकानेर ने अवगत करया कि ईवीएम स्टोरेज के लिए उनके द्वारा वर्तमान में स्थापित निर्वाचन स्टोर के पास ही एक सरकारी स्कूल के भवन का चयन कर अधिग्रहित किया गया है जिसकी मरम्मत हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रेषित कर दिये है, यदि विभाग द्वारा बजट आवंटित

किया जाता है तो जिले में ईवीएम मशीनों के लिए एक उपयुक्त स्टोररूम उपलब्ध हो सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को विषय में प्रस्तावो का परिक्षण करने हेतु निर्देश दिये। बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त बीकानेर ने उनके संभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी जिलो क विषय में विभागीय बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया तथा यह आशवसन दिया कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली जायेगी।

9. बून्दी जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) बून्दी द्वारा सभी बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सभी बिन्दुओं पर कार्य करने के निर्देश दिये।

10. चित्तौड़गढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) चित्तौड़गढ़ ने अवगत करया कि बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3200 मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए पुनः अनुबंधित फर्म को फोटो उपलब्ध कराए गए है। फर्म द्वारा अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध नहीं कराए गये है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से इस विषय में अनुबंधित फर्म से सम्पर्क कर यथाशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मतदाता सूचियों से संबंधित विभिन्न ऑकड़ो का विशलेषण करने पर यह महसूस किया गया है कि महिलाओं का पंजीकरण करने के विषय में जिले में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने बताया कि वह इस विषय में एक बार पुनः अभियान चलाकर मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित रही महिलाओं को चिन्हित कर उनसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करेगें।

11. चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर जिले की प्रगति से अवगत करया। जिला चूरू में लगभग सभी बिन्दुओं पर कार्य निर्धारित मापदण्डो के अनुसार है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने बताया कि महिलाओं के पंजीकरण के विषय में राशनकार्ड डेटाबेस के आधार पर ऐसी महिलाओं का चिन्हिकरण किया जा रहा है जिनका मतदाता सूची में अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है।

12. दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) दौसा ने विभिन्न बिन्दुओ पर जिले की प्रगति से अवगत कराया । मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी बिन्दुओं पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के विषय में निर्देशित किया।

13. धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) धौलपुर द्वारा जयपुर मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में भाग लिया गया। बैठक के दौरान यह सामने आया कि प्रपत्र 1—8 पर जो सूचना जिला कार्यालय द्वारा भेजी गयी है तथा विभाग एसएलए द्वारा कम्प्यूटर से जो सूचना तैयार की है में अधिक अन्तर है। इस विषय में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) से समन्वय कर विसंगति दूर करने के निर्देश दिये गये। बैठक में अगवत कराया कि जिले में तहसीलदार निर्वाचन का पद रिक्त है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजस्व मण्डल से पत्राचार कर रिक्त पद की पूर्ति करवाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये।

14. डूॅंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डूंगरपुर द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। उन्होने यह भी अवगत कराया कि सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सूची विभाग को एक—दो दिन में प्रेषित कर दी जायेगी।

15. श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) श्रीगंगानगर ने निर्धारित एजेन्डा के अनुसार जिले की प्रगति से अवगत कराया। जिला श्रीगंगानगर राज्य में ऐसा प्रथम जिला है जहॉ पर शत—प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित किये गये है तथा मतदाता सूची में सभी मतदाताओं के फोटो मुद्रित है। मुख्य निर्वाचन

अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को मतदाता जनसंख्या अनुपात एवं लिंगानुपात के ऑकड़ों का विधानसभा क्षेत्रवार/मतदान केन्द्रवार विशलेषण कर जिन स्थानों पर अन्तर है उसे दूर करने के निर्देश दिये।

16 हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने एजेन्डा से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। जिले में सभी बिन्दुओं पर कार्य निर्धारित मापदण्डो के अनुसार है जिसे आगे भी जारी रखा जाना है। मतदान केन्द्रवार ऑकड़ो का विशलेषण कर जिन बिन्दुओं पर मतदान केन्द्रवार/विधानसभा क्षेत्रवार ऑकड़ो में अन्तर है उसे दूर करने के विषय में निर्देशित किया गया।

17. जयपुर बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के प्रत्येक बिन्दुओं पर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा प्रगति से अवगत कराया। विभिन्न बिन्दुओं पर जिले में किये गये कार्यो की समीक्षा से यह स्थिति सामने आयी कि जिले में अधिकांश बिन्दुओं पर निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कार्य बहुत कम किया गया है। उक्त कार्यो को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संभागीय आयुक्त जयपुर को निर्देशित किया कि वह नियमित रूप से संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलो के साथ बैठक आयोजित कर विभिन्न बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की नियमित रूप से समीक्षा करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के दौरान उपस्थित सभी ईआरओ को निर्देशित किया कि वह ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो के निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही करे तथा इनके निस्तारण के बाद संबंधित आवेदक को इसकी सूचना ईमेल/ मोबाईल फोन पर भेजे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के निरन्तर अद्यत के प्रकिया के दौरान जयपुर जिले में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में आम नागरिकों की जानकारी हेतु सूचना बोर्ड लगाने के विषय में निर्देशित किया। इसके साथ–साथ यह भी निर्देशित किया कि राजनैतिक दलो के साथ बैठक आयोजित कर विभाग की वेबसाईट, कॉल सेन्टर एवं निरन्तर अद्यतन प्रकिया से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो के विषय में प्रावधानो से उन्हें अवगत कराए। उन्होने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जयपुर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि ऑनलाईन पद्धति, निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान भौतिक रूप से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की समीक्षा प्रत्येक माह करे।

18. जैसलमेर बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जैसलमेर को निर्देशित किया कि जिले में जनसंख्या, मतदाता अनुपात बहुत कम है। इसलिए मतदाता सूची की निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान इस अनुपात को बढ़ाया जाए। इस विषय में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए तथा ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये जाए जहॉ कि यह अन्तर बहुत कम है तथा वहां पर विशेष रूप से प्रयास कर मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किये जाए।

19. जालोर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जालोर ने मतदाता सूचियो से संबंधित विभिन्न ऑकड़ो के अनुसार अपने जिले से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान अवगत कराया कि जिले में महिलाओं का पंजीकरण कम संख्या में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि आगामी 15 दिवस में अभियान आयोजित कर अधिक से अधिक महिलाओं का पंजीकरण किया जाए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने अवगत कराया कि जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की रिट पीटिशन लम्बित है इसलिए ईवीएम स्ट्रोगरूम में सीलड है। इसलिए जिले में विधानसभा आम चुनाव के लिए अलग से ईवीएम का आवंटन किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि जो ईवीएम रिट पीटिशन से बाधित है उनकी न तो तकनीकी जॉच की जानी है न एफएलसी की जानी है। जिले की आवश्यकता के अनुसार ईवीएम का यथासमय आवंटन कर दिया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने अवगत कराया कि अनुबंधित फर्म मल्टीवेव इनोवेशन द्वारा दो विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता फोटो

पहचान पत्र उपलब्ध नहीं कराए गये है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को यथाशीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है।

20. झालावाड़ जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) झालावाड़ द्वारा एजेन्डा के सभी बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी ने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को विधानसभा क्षेत्रवार/मतदान केन्द्रवार ऑकड़ों का विशलेषण कर जिन बिन्दुओं पर निर्धारित मापदण्डो के अनुसार लक्ष्य पूरे नहीं है उनको पूर्ण करने के निर्देश दिये।

21. झुंन्झुनू जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा एजेन्डा बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को निर्देशित किया कि वह जनसंख्या मतदाता अनुपात का अपने स्तर पर विशलेषण कर इस विषय में सुधारात्मक कार्यवाही करें।

22 जोधपुर बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जोधपुर उच्च न्यायालय में पीआईएल सुनवाई के दौरान उपस्थित होने के कारण भाग नहीं ले सके। बैठक में कार्यवाहक उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। चर्चा के दौरान यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि जिले में लगभग 74,000 मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बने हुए है जिन्हे तैयार करने के लिए फोटो एकत्रित की जानी है। अभी तक मात्र 3000 फोटो का ही संग्रहण किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस पर असंतोष जाहिर करते हुए निर्धारित तिथि 31 मार्च, 2013 तक सभी 74,000 मतदाताओं के फोटो एकत्रित करने के निर्देश उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सभी ईआर को दिये।

23. करौली जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) करौली ने एजेण्डा के अनुसार प्रगति से अवगत कराया। चर्चा के दौरान यह भी अवगत कराया कि टोडाभीम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की ईवीएम टोडाभीम मुख्यालय पर स्टोर की हुई है, इनको जिला मुख्यालय पर स्थांनातरण करने व इनकी मेमोरी हटाने के विषय में विभाग को प्रस्ताव भेजे गये है जिसके क्रम में निर्देश अपेक्षित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अविलम्ब दिशा–निर्देश भेजने हेतु निर्देशित किया।

24. कोटा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कोटा का पद रिक्त है। श्री राकेश जयसवाल, द्वारा कार्यवाहक जिला कलेक्टर के रूप में जिले से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। सभी बिन्दुओं पर कार्य संतोषजनक है। बैठक में संभागीय आयुक्त ने उनके अधीन आने वाले जिलो के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि उनके संभाग से संबधित जिलो का कार्य जिस अनुबंधित फर्म द्वारा किया जा रहा है का कार्य संतोषजनक नहीं है। उनका सुझाव था कि इस विषय में उनके स्तर पर अनुबंधित फर्म के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित कर कार्य की समीक्षा की जाए। इस विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करते हुए विभाग को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जिससे कि विभाग स्तर से भी अनुबंधित फर्म को निर्देशित किया जा सके।

25. नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) नागौर ने अवगत कराया कि उनके जिले में महिलाओं के पंजीकरण के विषय में जो अन्तर है उसका मुख्य कारण 18–25 आयु वर्ग की महिलाओं के आयु संबंधी प्रमाण पत्र नहीं होना है। इस विषय में निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की महिलाओं से शपथ पत्र प्राप्त किये जा सकते है तथा ईआरओ स्तर पर भी आयु संबंधी संतुष्टी की जाकर पंजीकरण के विषय में कार्यवाही की जा सकती है।

26. पाली जिला पाली के ऑकड़ो का विशलेषण करने पर यह स्पष्ट है कि लिगांनुपात ऑकड़ो में काफी अन्तर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) इस हेतु पुनः अभियान चलाने हेतु स्वतंत्र है तथा

निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान इस विषय में कार्यवाही की जाकर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को यह भी निर्देशित किया कि निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया विभाग की वेबसाईट के माध्यम से जो सुविधाएँ आम नागरिकों को दी जा रही है की जानकारी राजनैतिक दलो के साथ बैठक आयोजित कर दी जाए।

27. प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) प्रतापगढ द्वारा प्रगति से अवगत कराया तथा उन्होंने यह भी अवगत कराया कि महिलाओं के क्रम में पुनः अभियान चलाकर यह कार्य किया जायेगा तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र से अवशेष रहे मतदाताओं के फोटो भी यथाशीघ्र एकत्रित कर लिये जायेगें।

28. राजसमन्द जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) राजसमन्द ने अवगत कराया कि उनके जिले में लिगांनुपात के आकड़ो में काफी अन्तर है तथा जनसंख्या मतदाता अनुपात निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने अवगत करया कि इस विषय में पुनः अभियान चलाया जाकर निर्धारित मापदणें के अनुसार लक्ष्य प्राप्त किये जायेगें। जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिनमें मतदाता फोटो पहचान पत्रो से वंचित मतदाताओं की संख्या अधिक है का मुख्य कारण यह है कि मतदाता मजदूरी करने हेतु जिलो में बाहर अन्य स्थानों पर चले गये है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि इस प्रकार के मजदूर सम्भवतः त्यौहार के समय अपने पैतृक निवास स्थान पर आते है, उस समय प्रयास कर मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करवाने हेतु फोटो एकत्रित किए जा सकते है।

29. स0माधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने अवगत कराया कि जिन मतदाताओं को अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बने है। उनके फोटो एकत्रित करने हेतु बीएलओ के मोबाईल फोन के माध्यम से फोटो लेने के निर्देश दिये गये है, तथा निर्धारित समय सीमा के अनुसार यह कार्यवाही कर ली जाएगी।

30. सीकर जिला सीकर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का आयोजन दिनांक 19 मार्च, 2013 को दोपहर 1.00 बजे किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) सीकर ने सभी बिन्दुओं पर जिले में ईआरओ द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र से अवशेष रहे मतदाताओं के क्रम में जो फोटो एकत्रित की गयी है उस पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शत–प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फोटो एकत्रित करन का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए। जिले में सेवानियोजित मतदाताओं की संख्या काफी है इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस विषय में विशेष रूप से निर्देशित किया कि रिकार्ड ऑफिसवाईज मतदाताओं की सूची तैयार कर यथाशीघ्र प्रेषित की जाए तथा सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची पी.डी.एफ. फॉरमेट में अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराए जाए जिससे विभाग की वेबसाईट पर मतदाता सूची उपलब्ध कराई जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) सीकर को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन/ऑफलाईन पद्धति से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो का निस्तारण निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण किया जाए तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अपने स्तर पर प्रत्येक माह मॉनीटरिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 18–19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण करने हेतु माह जुलाई में जिले में स्थापित महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में शिविर लगाकर पंजीकरण करने का कार्य किया जाए। इससे पूर्व प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर इनको प्रशिक्षित किया जाए।

31. **सिरोही** जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) सिरोही द्वारा प्राप्त प्रगति विवरण के अनुसार जिले में महिलाओं का पंजीकरण कम संख्या में हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस विषय में पुनः सर्वे करवाकर शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि यदि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय–सीमा आगे बढ़ाई जानी है तो इसे आगे बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य शत–प्रतिशत रूप से प्राप्त किये जाए।

32. **टोंक** जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) टोंक ने अवगत कराया कि महिलाओं के पंजीकरण के विषय में एक और सर्वे की आवश्यकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगमी 15 दिवसो में पुनः सर्वे करवाकर मतदाता सूची में पंजीकरण से शेष रही पात्र महिलाओं को चिन्हित कर प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये। ईवीएम के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि चूँकि जिला टोंक में उपलब्ध सभी ईवीएम रिट–पीटिशन से बाधित है इसलिए विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ईवीम का पृथक से आवंटन किया जायेगा। वर्तमान में ऐसी ईवीएम की तकनीकी जॉच कराई जानी है जो कि स्ट्रोगरूम के बाहर है।

33. **उदयपुर** जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) उदयपुर ने विभिन्न बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। जिले में महिलाओं का पंजीकरण बहुत कम संख्या में है तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र से अवशेष रहे मतदाताओं की फोटो भी कम संख्या में एकत्रित की गयी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने महिलाओं के पंजीकरण के विषय में पृथक से अभियान चलाकर यह कार्य 15 अप्रैल, 2013 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये।